

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर
(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांक:– 22/2026
संस्थित दिनांक:– 17.08.2026

श्री पुरनेश्वर साहू,
ग्राम अमोड़ा, तहसील:– नरहरपुर,
जिला:– कांकेर (494–333) (छ0ग0)
मो0नं0 7974185756
बी0पी0क्र0 1008374249

परिवादी/आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कांकेर (छ.ग.)

उत्तरवादी/अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 01–10–2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा नया मीटर लगाने के पश्चात् पिछले 6 माह से कोई बिल नहीं आने तथा अचानक 1 लाख रू0 का विद्युत बिल आने पर शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:– 1. परिवादी श्री पुरनेश्वर साहू, ग्राम अमोड़ा, तहसील:– नरहरपुर, जिला:– कांकेर (494–333) (छ0ग0) मो0नं0 7974185756 बी0पी0क्र0 1008374249 को गैर घरेलू कनेक्शन 10 KW भार का प्रदान किया गया है।
3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :– 6 माह से लंबित देयक के बाद रू0 1 लाख का बिल एक साथ आने पर शिकायत प्रस्तुत किया गया।
4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :–
01. परिवादी श्री पुरनेश्वर साहू (Dhansir Fuels) का ग्राम–अमोड़ा तहसील– नरहरपुर जिला–उ0ब0 कांकेर का अनुबंध भार 10 किलो वॉट गैर घरेलू (पेट्रोल पम्प) कनेक्शन है। दिनांक 11.12.2025 को पुराना 3 Phase Bidirectional meter क्र0 SS21951726 FR 6993 के स्थान पर नया 3 Phase Smart MTR 10-60A मीटर क्र0 G4109789 स्थापित गया।



02. स्मार्ट मीटर स्थापना के बाद Genus कंपनी द्वारा SAP में समय पर MI (Meter Installation) नहीं करने से माह जनवरी 2026 का बिल जारी नहीं हो सका। माह फरवरी व मई 2026 में पुराने मीटर के आधार पर No Use पर केवल नियमित प्रभार व मीटर किराया का बिलिंग किया गया।

03. दिनांक 24.06.2026 को SAP में MI किया गया। पेट्रोल पम्प का दैनिक उपयोगी कनेक्शन होने से 11.12.2025 से 23.06.2026 तक नये मीटर में 12668 KWH रीडिंग हो गई। दिसंबर 2025 में पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 6993 यूनिट तक बिलिंग हो चुकी है, अतः 12668 KWH का बिल देय है।

04. एक साथ 12668 KWH की बिलिंग से अधिक देयक बनने के कारण स्लैब में छुट देकर किस्तों में बिलिंग की जा रही है। जून 2026 में 3000 व जुलाई 2026 में 2000 यूनिट का बिल दिया जा चुका है, शेष 7668 यूनिट का स्लैब वार बिलिंग किया जाना शेष है। दिनांक 31.08.2026 तक कुल रीडिंग 12668 KWH है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं :-

1. क्या उत्तरवादी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को स्मार्ट मीटर परिवर्तन पश्चात् SAP में MI विलंब से दिनांक 24.06.2026 को करने के कारण 6 माह की खपत 12668 यूनिट का एकत्रित बिल जारी करना उचित है।

2. क्या विलंब का कारण आवेदक का न होकर Genus एजेंसी का होने से परिवादी अधिभार से मुक्ति पाने का हकदार है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र० 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष :- दिनांक 11.12.2025 को पुराना मीटर अंतिम पठन 6993 यूनिट पर बदला जा चुका है, जिसका बिल किया जा चुका है। दिनांक 11.12.2025 से 24.06.2026 तक आवेदक द्वारा पेट्रोल पम्प में निरंतर विद्युत उपभोग किया गया है, जिसकी वास्तविक खपत नये स्मार्ट मीटर में 12668 KWH दर्ज है। Genus एजेंसी द्वारा SAP में MI विलंब से किये जाने कारण बिल लंबित रहा, परंतु खपत वास्तविक है। अतः एकत्रित यूनिट का बिल दिया जाना उचित है, स्मार्ट मीटर के माहवार खपत अनुसार बिलिंग किया जाना उचित होगा।



विचारणीय प्रश्न क्र० 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष :- विलंब एजेंसी Genus Power Infra द्वारा SAP में MI विलंब से करने के कारण हुआ है, ये Genus Power Infra विद्युत वितरण कंपनी की अधिकृत एजेंसी है जिसका नियंत्रण विद्युत वितरण कंपनी के अधीन है। अतः इस विलंब अवधि के लिए लगने वाले विलंब अधिभार (Surcharge) से छूट प्रदान किया जाना उचित है। मूल ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्राप्त करना उचित प्रतीत होता है।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि :- उत्तरवादी द्वारा की जा रही 12668 यूनिट की बिलिंग परिवारी के कनेक्शन का वास्तविक खपत पर आधारित है।

- (1) स्मार्ट मीटर के माहवार रीडिंग के आधार पर बिलिंग किया जावे।
- (2) भुगतान में देरी पर लगाए जाने वाले सरचार्ज की वसूली नहीं की जावे।
- (3) पूर्व में संबंधित समयावधि में भुगतान किये गए राशि का समायोजन किया जावे।
- (4) उभोक्ता को नियमानुसार किस्तों की सुविधा प्रदान किया जावे।
- (5) विद्युत आपूर्ति निरंतर/गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाया जावे।
- (6) मीटर बदली पश्चात् MI नहीं करने पर की गई उदासिनता के लिए संबंधित एजेंसी पर आवश्यक कार्यवाही किया जावे।

7. यदि परिवारी/आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ०ग०) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

आदेश पारित किया गया


(पीयूष राम साहू)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर


(चित्रा खत्री)
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर


(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर